



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

**SBU & PC-Gypsum,
Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.**

Phone: 0151-2200171-75, Fax: 0151-2523519/ 2202842

Web Site: www.rsmm.com

क.: आर.एस.एम.एम./जिप/प्रशा/10(14)/2018-51


दिनांक: 13.04.2018

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड., एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, के प्लॉट नं. 02, गांधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में डी.जी. सेट (जनरेटर) का रखरखाव करने, बिजली से संबंधित कार्य जैसे-बिजली के पोइंट्स, लाईनों की खराबी को सही करना, पानी के पम्पों के रख-रखाव करने एवं अन्य छोटे-मोटे बिजली से संबंधित कार्य ठेके पर करने हेतु दो (2) वर्ष की समय अवधि के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रस्ताव प्रपत्र संस्थान के बीकानेर कार्यालय के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में शुल्क रूपये 590/- (अखरे रूपये पाँच सौ नब्बे मात्र जी.एस.टी. सहित) जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के नाम डी.डी.के जरिये अथवा नकद जमा करवाकर दिनांक 19.04.2018 से 08.05.2018 तक किसी भी कार्य दिवस (अवकाश के अतिरिक्त) के दौरान (प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं, इसके अलावा इच्छुक निविदाकार प्रस्ताव प्रपत्र को वेबसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा www.rsmm.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड किया गया प्रस्ताव प्रपत्र, प्रस्तुत करते समय निविदाकार को प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क के रूप में रूपये 590/- (अखरे रूपये पाँच सौ नब्बे मात्र जी.एस.टी. सहित) का डी.डी. जो की राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के नाम देय हो, प्रस्ताव प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव दिनांक 09.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक बीकानेर स्थित कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। प्राप्त प्रस्तावों के प्रथम भाग (तकनीकी भाग), दिनांक 09.05.2018 को प्रातः 11:30 बजे इच्छुक निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष, कम्पनी के बीकानेर स्थित कार्यालय में खोले जायेंगे। धरोहर राशी रु. 7200/- (अखरे रु. सात हजार दो सौ मात्र) का डी.डी. जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के पक्ष में देय हो प्रस्ताव प्रपत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के प्रस्ताव प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी भी या समस्त प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।


प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)